2-12-2020 अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

2-12-2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

19-12-2020 अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा–हिजलजोर, थाना नं0–561, के गैरमजरूआ खाता सं0–21, के अंदर दाग सं0–253, कुल खतियानी रकवा 24–16–00 धुर किस्म–परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी–02 के अवलोकन से पाया गया कि रकवा 1.26 एकड़ अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं0–30/2003–04 से **पौलुस मरांडी पिता–छोटका मरांडी** साकिन–हिजलजोर के नाम से खाता सं0–21/8 में दर्ज है। जांच के क्रम में बंदोबस्तदार द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया जो इस पत्र के साथ संलग्न है। स्थलीय जांच में पाया गया कि उक्त बंदोबस्ती भूमि पर बंदोबस्तदार/वंशज द्वारा जोत अबाद कर रहा है। फोटो प्रति संलग्न। सरकार के पत्र के आलोक में संधारित खाता को नियमित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 तथा पत्रांक–06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020–1704/रा0 दिनांक–15.07.2020 के आलोक में वैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर **नियमित** किया जाता है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

19.12.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।